

प्रेसनोट थाना राजघाट गोरखपुर दिनांक 02.06.2022

**500 लीटर अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब व 20 किलोग्राम नौसादर व 06 किलोग्राम यूरिया के साथ
04 अभियुक्त गिरफ्तार**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपमिश्रित कच्ची शराब के निष्कर्षण व विक्रय एवं अपराध की रोकथाम अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में व पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी कोतवाली के कुशल पर्यवेक्षण में व थाना प्रभारी राजघाट संजय कुमार मिश्रा जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 02 जून 2022 को थाना क्षेत्र में अपराध की रोकथाम के दृष्टिगत चौकी प्रभारी अनूप कुमार मिश्र द्वारा 500 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब व 06 किलोग्राम यूरिया एवं 20 किलोग्राम नौसादर के साथ अभियुक्त 1- मनोज पुत्र जल्लू निवासी अजवैनिहा थाना रामगढ़ ताल जनपद गोरखपुर गोरखपुर 2- बुधिराम पुत्र स्व. सुखराज निवासी सुरैना थाना हरपुरबुदहट गोरखपुर 3- शत्रुघ्न पुत्र लालसा निवासी इटहिया थाना गुलरिया जनपद गोरखपुर 4- श्रीनिवास शर्मा पुत्र स्वर्गीय रामशरण शर्मा निवासी भीटी थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर को अमरूदबाग चकरा दायम से समय प्रातः करीब 06:10 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 141/2022 व 142/2022 धारा 272 आईपीसी व 60(2) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त को न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

- 1- मनोज पुत्र जल्लू निवासी अजवैनिहा थाना रामगढ़ ताल जनपद गोरखपुर गोरखपुर
- 2- बुधिराम पुत्र स्व. सुखराज निवासी सुरैना थाना हरपुरबुदहट गोरखपुर
- 3- शत्रुघ्न पुत्र लालसा निवासी इटहिया थाना गुलरिया जनपद गोरखपुर
- 4- श्रीनिवास शर्मा पुत्र स्वर्गीय रामशरण शर्मा निवासी भीटी थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर

बरामदगी:-

500 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब 20 किलोग्राम नौसादर 06 किलोग्राम यूरिया

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक समय :

अमरूद बाग चकरा दायम, दिनांक 02.06.2022 को समय: 06:10 बजे प्रातः

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 141/2022 व 142/2022 धारा 272 आईपीसी व 60(2) आबकारी अधिनियम थाना राजघाट गोरखपुर

अभियुक्त मनोज पुत्र जल्लू का अपराधिक इतिहास:-

- 1- मु.अ. सं. 579/2016 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना खोराबार गोरखपुर
- 2- मु.अ. सं. 1014/2018 धारा 323,325,504 आई पी सी थाना खोराबार गोरखपुर
- 3- मु.अ. सं. 1018/2018 धारा 323,147,506 आई पी सी थाना खोराबार गोरखपुर
- 4- मु.अ. सं. 27/2019 धारा 147,148,149,307,323 आई पी सी थाना रामगढ़ताल गोरखपुर
- 5- मु.अ. सं. 141/2022 धारा 272 आई पी सी व 60(2) आबकारी अधिनियम थाना राजघाट गोरखपुर

गिरफ्तारी करने वाली टीम :-

- 1-उपनिरीक्षक अनूप कुमार मिश्र थाना राजघाट गोरखपुर ।
- 2- हे. कां. हरेन्द्र सिंह
- 3- कां. मंगलदीप
- 4-कां.देवेन्द्र कुमार
- 5-कां.गोरख सिंह
- 6-कां.कुन्दन कुमार
- 7-कां.अशोक कुमार
- 8-कां.मनोज सिंह